पत्रांक सं० !- 5657, दिनांक !- 06/08/2024

प्रेषक,

प्रशान्त मित्तल,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–3, (एम0पी0,एम0एल0ए0)
बिजनौर।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
बिजनौर।

विषयः– राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर **पुरानी पेंशन योजना** (OLD PENSION SCHEME) का विकल्प चयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में सादर निवेदन निम्नवत् है कि प्रार्थी प्रशान्त मित्तल पुत्र श्री विजय कुमार, वर्तमान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट सं0–3), (एम0पी0,एम0एल0ए0), जनपद–बिजनौर के पद पर कार्यरत है।

राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–14/2024/सा-3-243/X-2024/301(1)/2024 Dated 28-06-2024 के द्वारा ऐसे सरकारी सेवक, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तयो के सापेक्ष हुआ है, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के विकल्प की व्यवस्था प्रदान की गयी है।

महोदय को सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयनित होने के पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन सहायक अभियोजन अधिकारी–2002 के अन्तर्गत प्रार्थी की प्रथम नियुक्ति अभियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर आदेश दिनांक 28–03–2005 के अन्तर्गत हुई थी, जिसकी विज्ञप्ति संख्या–A-4/E-1/2002 है। उक्त नियुक्ति के अनुक्रम में प्रार्थी की सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में योगदान की तिथि 21–04–2005 है। उस समय प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया गया था।

उपरोक्त सन्दर्भ में सादर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद हेतु विज्ञापन, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के द्वारा विज्ञप्ति संख्या–A-2/E-1/2003 दिनांकित 15 नवम्बर, 2003 को निर्गत की गयी थी, जिसके अनुकम में प्रार्थी की नियुक्ति सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर उत्तर प्रदेश शासन विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग–4, संख्या–2430/II–4–06–32 (1)2001 टी.सी.–1 लखनऊ दिनांक 26 मई, 2006 के द्वारा हुयी है। उक्त सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–949/डी.आर.(एस)/2006, दिनांकित इलाहाबाद, जून 13, 2006 के अनुकम में प्रार्थी ने दिनांक 21–06–2006 को जनपद न्यायालय, मेरठ में न्यायिक मजिस्ट्रेट का पद भार ग्रहण किया था। वर्तमान में प्रार्थी अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित है।

राज्य सरकार उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–14/2024/ सा–3–243/दस–2024 /301(1)/2024 दिनांकित 28 जून, 2024 तथा शासनादेश संख्या– 20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024 दिनांकित 11 जुलाई, 2024, के द्वारा अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर पुरानी पेंशन प्रणाली का विकल्प चयन किये जाने की व्यवस्था प्रदान की गयी है जिसके अनुकम में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत पत्रांक संख्या–9283/V11b-104/Admin D Section Dated: 08-07-2024 तथा पत्रांक संख्या–9691/1V- F 82 (Pension)/ Admin-(A) Dated: July, 16, 2024 के द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 10219/IV-F-82(पेंशन/Admin(A) दिनांकित 29 जुलाई 2024 के दिशा निर्देशानुसार पुरानी पेंशन प्रणाली के विकल्प के चयन हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान अपर महानिदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, गोमती नगर, लखनऊ को भी प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति सादर अवलोकनार्थ संलग्न है।

ऐसे में प्रार्थी उपरोक्त शासनादेश तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देश के अनुपालन में अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर **पुरानी पेंशन प्रणाली के विकल्प का चयन करता है,** जिसके लिए प्रार्थी शासनादेश संख्या–20/2024/सा–3–276/ दस–2024/301(1)/2024 दिनांकित 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में निर्धारित प्रारूप पर विकल्प–पत्र प्रेषित कर रहा है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के अन्तर्गत प्रार्थी का **पुरानी पेंशन का विकल्प–पत्र** माननीय न्यायालय तथा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी।

सादर।

भवदीय

2/08/24

दिनांक–02–08–2024

(प्रशान्त मित्तल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–3, (एम0पी0,एम0एल0ए0),
बिजनौर।
J.O. Code-6174

संलग्नक–

1– विकल्प पत्र।
2– अभियोजन निदेशालय को भेजे गये प्रार्थना पत्र की प्रति।
3– सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति आदेश की प्रति।
4– सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र की प्रति।
5– माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना की प्रति।
6– न्यायिक मजिस्ट्रेट मेरठ के पद पर कार्य भार ग्रहण प्रमाण पत्र की प्रति।

प्रतिलिपि,

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3– निदेशक, पेंशन, निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– जनपद न्यायालय बिजनौर।
7– संबंधित अधिकारी।

2/08/24

दिनांक–02–08–2024

(प्रशान्त मित्तल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–3, (एम0पी0,एम0एल0ए0),
बिजनौर।

<u>कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, बिजनौर।</u>

पत्रांक संख्या– दिनांक

माननीय महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित।

जनपद न्यायाधीश, बिजनौर।
District Judge
Bijnor-U.P.

शासनादेश संख्या 20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक

विकल्प–पत्र

1 नाम	प्रशान्त मित्तल
2 वर्तमान पदनाम	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 3 (एम0पी0/एम0एल0ए0) बिजनौर।
3 वेतनमान	जे 5–1,44,840–1,94,660/– रूपये
4 वर्तमान विभाग का नाम	न्याय विभाग
5 राज्य सरकार के अधीन **प्रथम नियुक्ति** के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	अभियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
6 विज्ञप्ति की तिथि	31/12/2002 (विज्ञापन सं0–ए–4/ई–1/2002)
7 विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	11–04–2005
8 योगदान की तिथि	21–04–2005
9 राज्य सरकार के अधीन वर्तमान नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश, द्वारा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
10 विज्ञप्ति की तिथि	22–28 नवम्बर 2003, रोजगार समाचार (विज्ञापन सं0–ए–2/ई–1/2003)
11 विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	26–05–2006
12 योगदान की तिथि	21–06–2006
13 जन्मतिथि	28–08–1977
14 सेवानिवृत्ति की तिथि	31–08–2037

मैं, प्रशान्त मित्तल पुत्र श्री विजय कुमार **शासनादेश संख्या 14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1) /2024 दिनाँक 28 जून, 2024** के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाये।

हस्ताक्षर– 2/08/24

नाम– प्रशान्त मित्तल

पदनाम–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कक्ष सं0 3 (एम0पी0/एम0एल0ए0)

बिजनौर।

घोषणा–पत्र

मैं प्रशान्त मित्तल पुत्र श्री विजय कुमार अपर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 3 (एम0पी0/एम0एल0ए0) बिजनौर यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम सं0–01 से 14 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर– 2/02/24
नाम– प्रशान्त मित्तल
पदनाम–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 3 (एम0पी0/एम0एल0ए0)
बिजनौर।
जे. ओ. कोड यू0पी0 6174

संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

श्री प्रशान्त मित्तल पुत्र श्री विजय कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 3 (एम0पी0/एम0एल0ए0) बिजनौर को उपरोक्त तथ्यो के आधार पर **पुरानी पेंशन योजना में** सम्मिलित किए जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/~~विभागाध्यक्ष की~~ संस्तुति
District Judge
Bijnor-U.P.
02/02/24

प्रेषक,

प्रशान्त मित्तल,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–3, (एम0पी0,एम0एल0ए0)
बिजनौर।

सेवा में,

श्रीमान अपर महानिदेशक,
अभियोजन, उ0प्र0
शालीमार टॉवर, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ।

द्वारा–
माननीय जनपद न्यायाधीश,
बिजनौर।

विषय– **उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद का नयी पेंशन योजना से आच्छादित होने के कारण पुरानी पेन्शन योजना में शामिल किये जाने हेतु विकल्प दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में सादर निवेदन है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 द्वारा जारी शासनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301 (1)/2024 लखनऊ, दिनांकित 28 जून 2024 एवं शासनादेश संख्या–20/2024/सा–3–276 /दस–2024/301 (1)/ 2024 लखनऊ, दिनांकित 11 जुलाई 2024 के कम में राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

उपरोक्त के दृष्टिगत सादर अवगत कराना है कि मैं वर्तमान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–3, (एम0पी0,एम0एल0ए0), जनपद बिजनौर के पद पर कार्यरत हूं। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में मेरा चयन/नियुक्ति विज्ञापन संख्या–ए–2/ई–1–2003, रोजगार समाचार 22–28 नवम्बर 2003, विज्ञप्ति के सापेक्ष उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग–4 के आदेश संख्या–2430/II–4–06–32(1)2001 टी0सी0–1 लखनऊ दिनांकित 26 मई 2006 से सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर हुआ था। उक्त सेवा भी अद्यतन शासनादेश के अनुसार पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित हो रही है।

यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के अधीन मेरी प्रथम नियुक्ति सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर विज्ञापन संख्या–ए–4/ई–1/2002 दिनांकित 31–12–2002 के सापेक्ष गृह (पुलिस) अनुभाग–9 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 686/छः–पु0–9–31(100)/2004, दिनांकित 28 मार्च 2005 को हुई थी। मेरे द्वारा निदेशक अभियोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश संख्या–एक–दो–136–2004/1869/05, लखनऊ दिनांकित 29 मार्च 2005 के अनुपालन में दिनांक 21–04–2005 के पूर्वान्ह में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर प्रशिक्षणार्थ पद भार ग्रहण किया था। अपर महानिदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश संख्या–एक–दो–138–2004/5568/2005, दिनांकित 03–10–2005 के अनुपालन में मैं प्रशिक्षणोपरान्त जनपद बागपत में कार्यरत रहा। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर चयनित होने के बाद अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक संख्या–एक–दो–ए0पी0ओ0–कार्यमुक्त–2006/4622/06, दिनांकित 19–06–2006 के अनुपालन में दिनांक 20–06–2006 को अपरान्ह जनपद बागपत से कार्यमुक्त होकर माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या–949/डी0आर0(एस)/2006, दिनांकित 13–06–2006 के अनुपालन में दिनांक 21–06–2006 के पूर्वान्ह से जनपद मेरठ में न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यभार ग्रहण कर मैं लगातार न्यायिक सेवा मे कार्य करते हुए वर्तमान में उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी के रूप कार्यरत हूं।

नियमानुसार उत्तर प्रदेश शासन के सुसंगत शासनादेशों के कम में उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर दिनांक 21–04–2005 से दिनांक 20–06–2006 तक की सेवाओं का लाभ मिलने की प्रत्याशा में मेरे द्वारा पूर्व में ही सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में दी गयी

सेवा को न्यायिक सेवा में आगणित किये जाने हेतु प्रत्यावेदन किया गया था, जिसे निस्तारण नियुक्ति अनुभाग–4 के पत्रांक संख्या–1574/दो–4–08–23(7)/07 दिनांकित 08 मार्च 2010 के द्वारा नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लागू होने के कारण निस्तारित किया जा चुका है।

प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 10219/IV-F-82(पेंशन/Admin(A) दिनांकित 29 जुलाई 2024 के दिशा निर्देशानुसार पुरानी पेंशन प्रणाली के विकल्प के चयन हेतु प्रार्थना पत्र अपनी प्रथम नियुक्ति के विभाग, अभियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश को प्रेषित कर रहा है।

ऐसे में प्रार्थी उपरोक्त शासनादेशों के अन्तर्गत अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर **पुरानी पेंशन प्रणाली के विकल्प का चयन करता है,** जिसके लिए प्रार्थी शासनादेश संख्या–20/2024/सा–3–276/ दस–2024/301(1)/2024 दिनांकित 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में निर्धारित प्रारूप पर विकल्प–पत्र प्रेषित कर रहा है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के अन्तर्गत प्रार्थी का **पुरानी पेंशन के विकल्प–पत्र** के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी।

सादर।

भवदीय
2/08/24
(प्रशान्त मित्तल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–3,(एम0पी0,एम0एल0ए0),
बिजनौर।
JO Code-6174

संलग्नक–

1– विकल्प पत्र।
2– सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति आदेश की प्रति।
3– अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश की प्रति।
4– सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र की प्रति।
5– माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना की प्रति।
6– न्यायिक मजिस्ट्रेट मेरठ के पद पर कार्य भार ग्रहण प्रमाण पत्र की प्रति।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– श्रीमान महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3– अपर मुख्य सचिव नियुक्ति अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4– प्रमुख सचिव, गृह अनुभाग–9, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5– जनपद न्यायालय बिजनौर।
6– संबंधित अधिकारी।

2/08/24
(प्रशान्त मित्तल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–3, (एम0पी0,एम0एल0ए0),
बिजनौर।

Forwarded

District Judge
Bijnor-U.P.

स्पीड–पत्र

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
लक्ष्मी काम्पलेक्स, विभूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ ।

पत्रांक: एक–दो–136–2004 / 1867 / 05 लखनऊ दिनांक: 29 मार्च, 2005

श्री – प्रशान्त मित्तल
पता– द्वारा श्री एस0के0 मित्तल
म0नं0–57 द्वारिकापुरी, गली नं0–6 मुजफ्फरनगर
उत्तर प्रदेश ।

अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन के गृह (पुलिस) अनुभाग–9 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–668 / छ–पु0–9–31(100) / 2004 दिनांकित– **28 मार्च, 2005 के द्वारा आपको सहायक अभियोजन अधिकारी** वेतनमान रू0 6500–200–10500 में अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की गई है।

2– आपको डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में अपने समस्त मूल शैक्षिक प्रमाण–पत्रों के साथ दिनांक–11.4.2005 को पूर्वान्ह में अवश्य कार्यभार ग्रहण करना है। यदि निर्धारित अवधि तक आप कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं और न ही आपसे समय बढ़ाने के लिए ठोस कारण दर्शाते हुए कोई प्रार्थना–पत्र उस अवधि के अन्दर प्राप्त होता है तो उक्त तिथि के बाद से आपका अभ्यर्थन स्वंयमेव समाप्त हो जायेगा।

3– डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण करने हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4– आपको वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा अनुमन्य भत्ता मंहगाई भत्ता व समय–समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते देय होगें।

5– कार्यभार ग्रहण करते समय आपको निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

1– ओथ आफ एलिजियन्स संबंधी प्रमाण–पत्र।
2– गोपनीयता संबंधी प्रमाण–पत्र।
3– चल,अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।
4– विवाहित होने की दशा में एक पत्नी / पति होने का प्रमाण–पत्र।
5– दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।

दिनांक–11.4.2005 से डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में आपका 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्रारम्भ होगा, जिसके लिए कृपया आप 2 नेकर (सफेद), 2 टीशर्ट कालरदार (सफेद), 2 पैंट (सफेद), 2 सफेद कमीज, एक काली टाई, एक जोडी ब्लेक शूज, व एक जोडी पी0टी0 शूज सफेद, 2 जोडी सफेद मोजे व बिस्तर व कम से कम रूपया 3000 / – की धनराशि मेस एडवान्स हेतु व अन्य खर्चों हेतु अलग से लेकर आयें।

......2 /

प्रभार प्रमाण पत्र

पत्रसंख्या-प-449/2005/ दिनॉक:अप्रैल 21 , 2005

प्रमाणित किया जाता है कि सहायक अभियोजन अधिकारी (परि0) डा0भीमराव आम्बेडकर पुलिस अकादमी,उ0प्र0 मुरादाबाद का पदाधिकार निदेशक अभियोजन उ0प्र0 लखनऊ के आदेश संख्या-एल-दो-136-2001/ 1869 /05 दिनॉकित 29-3-2005 के अधीन जैसा कि यहॉ व्यक्त किया गया है, दिनॉक: अप्रैल 21 , 05 के पूर्वान्ह/अपरान्ह में हस्तान्तरित किया गया ।

[redacted]

(सहायक अभियोजन अधिकारी -
के पद पर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु
आगमन करने के फलस्वरूप)

मोचक अधिकारी (प्रशान्त मित्तल) 21/04/05

प्रतिहस्ताक्षरित

21/4/05

अध्यक्ष विधि संकाय
डा0भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी
उ0प्र0मुरादाबाद ।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-पुलिस महानिरीक्षक,प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ ।
2-अपर निदेशक अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ ।
3-संयुक्त निदेशक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद ।
4-कोषाधिकारी मुरादाबाद ।
✓5-संबंधित अधिकारी ।
6-कार्यालय प्रति ।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

DATED: ALLAHABAD: June 13, 2006

No. 947 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Vikas Goyal**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Farrukhabad in the vacant court.

No. 948 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Susri **Tanya Singh**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hardoi in the vacant court.

No. 949 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Prashant Mittal**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Meerut in the vacant court.

No. 950 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Susri **Shelly Roy**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hathras in the vacant court..

No. 951 /DR(S)/2006

Sri **Bhoopendra Rai**, Additional Civil Judge, Junior Division, Allahabad is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Allahabad in the vacant court.

No. 952 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Sanjeev Kumar Singh**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Allahabad in the vacant court.

No. 953 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 ,dated 26.5.2006 Sri **Kamlesh Kumar Pathak**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Allahabad.

No. 954 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Hitendra Hari**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Mau in vacant court.

प्रभार-प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि न्यायालय जुडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-3 मेरठ का कार्य प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश मीमो संख्या 2430/द्वितीय-4-2006-321।।/2001 टी.सी.-1 दिनांकित 26.5.2006 एंव माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विज्ञप्ति संख्या 949/डी.आर।एस।/2006 दिनांकित 13.6.2006 तथा माननीय जनपद न्यायाधीश मेरठ के आदेश दिनांक 14.6.2006 के अनुपालन में आज दिनांक 21-06-06 के पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया।

21/06/06

मोचक अधिकारी ।प्रशान्त मित्तल।

प्रतिहस्ताक्षरित

21/6/06

/जनपद न्यायाधीश/

जिला न्यायाधीश

पत्रांकः 732F/E मेरठ। दिनांकः21-6-06

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महा निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. संयुक्त निबन्धक ।कम्प्यूटर। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3. उप निबन्धक ।सर्विसेज। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4. अनुभाग अधिकारी । नियुक्ति अनुभाग-4। उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 नवीन कोषागार भवन, प्रथम तल कचहरी रोड, इलाहाबाद।
6. मुख्य कोषाधिकारी, मेरठ।
7. सम्बन्धित अधिकारी।

वरिष्ठ0 प्रशासनिक अधिकारी
जनपद न्यायालय, मेरठ।